प्रेषक,

अबुल कैश
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या– 4, हाथरस।

सेवा में,

श्रीमान महानिबंधक
माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

द्वारा,

श्रीमान जनपद न्यायाधीश,
हाथरस।

विषयः– **<u>अचल संपत्ति विकय करने के सम्बन्ध में।</u>**

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि प्रार्थी गाटा संख्या 856 मि0, रकवा 362 वर्ग मीटर स्थित मौजा कसारी मसारी, तहसील सदर, जनपद प्रयागराज का स्वामी था। उक्त भूमि में से 30x55 वर्ग फिट भूमि श्री ऋषि कुमार जायसवाल पुत्र अशोक कुमार जायसवाल 51बी चक हिंगूई करारी मंझनपुर, कौशाम्बी से विकय करने हेतु पंजीकृत इकरारनामा किया गया था। तदोपरान्त विकय की अनुमति माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रदान की गयी जिसके अनुपालन में दिनांक 30.07.2020 को मेरे द्वारा श्री ऋषि कुमार जायसवाल के पक्ष में पंजीकृत विकय पत्र निष्पादित किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रार्थी को श्री सैयद मकसूद अली से 30x49 वर्ग फिट भूमि कय करने की भी अनुमति प्रदान की गयी है, परन्तु विकेता के स्तर पर कुछ कार्यवाही शेष होने के कारण अभी तक विकय पत्र निष्पादित नहीं हो सका। इसी कारण प्रार्थी द्वारा निष्पादित विकय पत्र की प्रति पूर्व में प्रेषित नहीं की जा सकी।

अतः माननीय महोदय के आदेश के अनुपालन में प्रार्थी द्वारा निष्पादित विकय पत्र की प्रति अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। प्रार्थी द्वारा श्री सैयद मकसूद अली द्वारा विकय पत्र निष्पादित किये जाने के पश्चात् उसकी प्रति माननीय महोदय को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दी जायेगी।

सादर।

भवदीय

दिनांक– 07.11.2020

(अबुल कैश)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या– 4, हाथरस।

संलग्नक– यथोक्त।